क्रमांक 474/78-ए आर०

प्रेषक मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में सभी विभाजाध्यक्ष, हरियाणा।
(चण्डीगढ़ स्थित)।

दिनांक चण्डीगढ़ 21 जुलाई, 1978

विषय : कार्यालयों में स्टेपलर्ज का प्रयोग।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह कहने का निदेश है कि कार्यालयों में अधिक कार्य-कुशलता लाने तथा आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग हेतु यह निर्णय लिया गया है कि जो एक पृष्ठ से अधिक परिपत्र जारी हो उनमें पिनों की बजाय स्टैपलर्ज का प्रयोग किया जाए। अतः चण्डीगढ़ स्थित सभी विभागों की प्रत्येक शाखा को एक–एक स्टैपलर दिया जाए और आवश्यकतानुसार स्टैपलर्ज में प्रयोग करने के लिये तारें। इस बारे में सभी विभाग अपनी स्टैपलर तथा स्टैपलर की तार की मांग मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग को भेज दें ताकि उन्हें आवश्यकतानुसार स्टैपलर दिए जा सकें। इन मद पर होने वाले खर्चे का भुगतान सम्बन्धित विभाग को बजट अलाटमैंट से ही किया जाएगा।

2. (केवल मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के लिए) चण्डीगढ़ स्थित सभी विभागाध्यक्ष, सचिवालय स्तर तथा वित्तायुक्त राजस्व के कार्यालयों की सभी शाखाओं के लिए स्टैपलर (stapler) तथा तार (provide) करने के लिए पग उठाए जाएं।

अवर सचिव, प्रशासकीय सुधार,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।